प्रेषक,

विजय कुमार यादव
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–8 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– ई–3738/26ए/2010 दिनांक 07 जून, 2010

विषय– निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों में लेखपालों के द्वारा आदेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

परिषद के संज्ञान में यह आया है कि कई जनपदों में राजस्व निरीक्षकों की कमी के कारण निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों में लेखपालों के द्वारा आदेश निर्गत किये जा रहे हैं तथा इनका अमलदरामद दाखिल खारिज रजिस्टर में भी किया जा रहा है। यदि अमलदरामद करते समय लेखपाल के आदेश का हवाला दिया जा रहा है तो उक्त प्रक्रिया विहित प्राविधानों के विरूद्ध है तथा यदि प्रभारी राजस्व निरीक्षक लिखा जा रहा हो तो भी विहित प्राविधानों के विरूद्ध है, क्योंकि वर्तमान में प्रभारी राजस्व निरीक्षकों की तैनाती उ0प्र0 सरकारी सेवकों की विखण्डन (उपबन्धों का विखण्डन) नियमावली–1991 के विरूद्ध है।

अतः ऐसी परिस्थिति में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्विवाद उत्तराधिकारों के प्रकरणों में नियमित राजस्व निरीक्षक से अनिम्न स्तर का कोई राजस्व कर्मचारी/पदाधिकारी आदेश पारित न करें। यदि नियमित राजस्व निरीक्षक उपलब्ध न हो तो नायब तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अनुपलब्धता में तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित किये जाय, ताकि विहित प्राविधनों को उल्लंघन न हो एवं न्यायिक विवादों से बचा जा सके।

अनुरोध है कि तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0
(विजय कुमार यादव)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।